238

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना का कार्यान्वयन अनुदेश।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 से 2026–27 तक कुल दो वर्षो के लिए आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना हेतु कुल 312.00 लाख (तीन करोड़ बारह लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2025–26 में 187.20 लाख (एक करोड़ सतासी लाख बीस हजार) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति, स्वीकृत्यादेश संख्या DoH/CS/01/2025-PPM-39 दिनांक 22.05.2025 द्वारा प्राप्त है। इस योजना का कार्यान्वयन संलग्न अनुसूची 1, 2.1, 2.2 एवं 3 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 में किया जायेगा।

राज्य में फलों की उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजनान्तर्गत आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।

इस योजना अन्तर्गत आम के क्षेत्र विस्तार का कार्यान्वयन राज्य के सभी जिलों में एवं लीची के क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सीवान एवं वैशाली में कराया जाएगा।

आम एवं लीची के क्षेत्र विस्तार की योजनान्तर्गत आम के लिए दो वर्षों हेतु अनुदान स्वीकृत है, जो कि निम्नवत हैः–

1. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में आम का क्षेत्र विस्तारः–** इस योजना अंतर्गत आम (गैर समेकित) के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत स्वीकृत है। आम की खेती हेतु 5x5 मीटर पौधो से पौधों की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 400 पौधा निर्धारित है।

   सहायतानुदान– अनुदान की राशि इकाई लागत का 40% अर्थात 80,000 (अस्सी हजार) रूपये देय है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 48,000.00 (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर चयनित कृषकों को उनके द्वारा कार्य निष्पादन उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन एवं संबंधित बाग का Geo Tag फोटो जो अभिप्रमाणित हो संलग्न रहने के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 340 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 163.20 लाख (एक करोड़ तिरसठ लाख बीस हजार) रूपये स्वीकृत है।

2. **वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 2025–26 में लगाए गए आम का 1st Year Maintenance का सहायतानुदान–** वित्तीय वर्ष 2026–27 में द्वितीय किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 40% अर्थात् 32,000.00 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति

237

हेक्टेयर 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन एवं संबंधित बाग का Geo Tag फोटो जो अभिप्रमाणित हो संलग्न करने के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 340 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 108.80 लाख (एक करोड़ आठ लाख अस्सी हजार) रूपये स्वीकृत है।

लीची के क्षेत्र विस्तार की योजनान्तर्गत लीची के लिए दो वर्षों हेतु अनुदान स्वीकृत है, जो कि निम्नवत है:–

1. **वित्तीय वर्ष 2025–26 में लीची का क्षेत्र विस्तार:–** इस योजना अंतर्गत लीची (गैर समेकित) के क्षेत्र विस्तार हेतु MIDH की मार्गदर्शिका के सदृश्य 2 लाख (दो लाख) रूपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत स्वीकृत है। लीची की खेती हेतु 4.5X4.5 मीटर पौधो से पौधों की दूरी अनुसार प्रति हेक्टेयर 494 पौधा निर्धारित है।

   सहायतानुदान– अनुदान की राशि इकाई लागत का 40% अर्थात 80,000 (अस्सी हजार) रूपये देय है, जिसमें प्रथम किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 60% अर्थात 48,000.00 (अड़तालीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर चयनित कृषकों को उनके द्वारा कार्य निष्पादन उपरांत प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन के पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 50 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 24.00 लाख (चौबीस लाख) रूपये स्वीकृत है।
2. **वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 2025–26 में लगाए गए लीची का 1st Year Maintenance का सहायतानुदान–** वित्तीय वर्ष 2026–27 में द्वितीय किस्त के रूप में कुल अनुदान राशि का 40% अर्थात् 32,000.00 (बत्तीस हजार) रूपये प्रति हेक्टेयर 80% पौधों की उत्तरजीविता पाये जाने पर संबंधित प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के क्षेत्र सत्यापन पश्चात् संतुष्ट होने पर सहायक निदेशक उद्यान द्वारा किया जायेगा। इस घटक अन्तर्गत भौतिक लक्ष्य 50 हे० के विरूद्ध वित्तीय लक्ष्य 16.00 लाख (सोलह लाख) रूपये स्वीकृत है।

लाभुक चयन की पात्रता एवं प्रक्रिया :–

1. लाभुक का चयन "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जायेगा।
2. इस योजना का लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का कृषक होना तथा कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल (http://dbtagriculture.bihar.gov.in) पर पंजीकृत होना आवश्यक है। उद्यानिक योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक कृषकों को उद्यान निदेशालय के वेबसाईट (horticulture.bihar.gov.in) अथवा Bihar Krishi App पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।
3. स्वीकृत योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ (0.1 हे०) तथा अधिकतम 5 एकड़ (2 हेक्टेयर) के लिए देय होगा।

4. कृषकों का कोटिवार चयन स्वीकृत्यादेश में निहित आदेश के आलोक में किया जायेगा। यह भी प्रयास किया जायेगा की लाभुक में प्रत्येक श्रेणी में 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।
5. इच्छुक कृषकों द्वारा वेबसाईट पर किये गये ऑनलाईन आवेदन को प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा 7 (सात) दिनों के अन्दर सत्यापन करना आवश्यक होगा।

   उपरोक्त सत्यापन कार्य निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नहीं होने पर आवेदन स्वतः अग्रसारित होने की स्थिति में उक्त सत्यापन हेतु संबंधित पदाधिकारी जवाबदेह होंगे।
6. सत्यापनोपरांत संबंधित सहायक निदेशक उद्यान द्वारा योग्य आवेदक को कार्यादेश 7 (सात) दिनों के अन्दर निर्गत करना आवश्यक होगा।
7. आम एवं लीची के पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता विभागीय नर्सरी/कृषि विश्वविद्यालय अधीनस्थ नर्सरी/सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, देसरी, वैशाली/राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केन्द्र, मुसहरी, मुजफ्फरपुर के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। कार्यादेश में कार्य पूरा करने का समय 15 जून से 30 सितम्बर, 2025 होगा एवं अनुदान भुगतान की समय सीमा 01 जुलाई से 07 अक्टूबर, 2025 होगी।
8. इस योजनान्तर्गत कुल 15600 मानव दिवस का रोजगार सृजन होने की संभावना है।

<u>आवेदन की प्रक्रिया</u>:–

इस योजना का लाभ लेने हेतु वेबसाईट पर आवेदन संबंधित सभी कागजात अपलोड करना आवश्यक होगा। इच्छुक कृषकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/दो वर्ष पूर्व से अद्यतन राजस्व रसीद/ऑनलाईन अद्यतन रसीद/वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र/गैर रैयत हेतु एकरारनामा में से कोई एक दस्तावेज उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।

<u>अनुदान विमुक्ति की प्रक्रिया</u>:–

भुगतान के पूर्व यथा आवश्यक जाँच/ लाभुक एवं सत्यापनकर्त्ता का Geo Tagged Photograph/ सत्यापन कार्य कराते हुए निश्चित समय पर लाभुक को देय अनुदान (DBT in Cash/DBT in kind) का भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा, बशर्त्ते कि लाभुक कृषकों का Biometric Authentication उनके आधार नम्बर के साथ हो।

<u>कार्य दायित्व</u>:–

1. **प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी–**
   - इनके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार करते हुए लक्ष्य अनुरूप Online आवेदन कराया जायेगा।
   - प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा उद्यान निदेशालय, बिहार पटना से सम्बद्ध एजेन्सियों के द्वारा आपूर्ति किए गए आम एवं लीची के पौधों का शत प्रतिशत सत्यापन करेंगें तथा सत्यापन प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेंगें।

235

- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी द्वारा चयनित किसानों के द्वारा कार्य निष्पादन उपरान्त कृषकों के द्वारा लगाए गए आम एवं लीची के नए बाग का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन जियो टैग फोटोग्राफ के साथ अपलोड करेंगें।

2. **सहायक निदेशक उद्यान–**

- जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला बागवानी विकास समिति से राज्य बागवानी मिशन मुख्यालय द्वारा जिलों को आवंटित लक्ष्य का अनुमोदन प्राप्त कर क्रियान्वित किया जायेगा।
- योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कार्यशाला, जागरूकता अभियान इत्यादि का आयोजन किया जाएगा।
- प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी को संबंधित प्रखंड हेतु स–समय लक्ष्य उपलब्ध कराना तथा उस लक्ष्य के विरूद्ध लक्ष्य प्राप्ति की समीक्षा करना।
- आम एवं लीची के वितरण से पूर्व पौधों के आकार एवं गुणवत्ता की जाँच करना। मानक स्तर के पौधों की आपूर्ति लेना।
- आम एवं लीची क्षेत्र विस्तार का कार्यक्रम 30 सितंबर 2025 तक समाप्त करना।
- कार्य निष्पादित अवयवों का बिना किसी विलम्ब के भौतिक सत्यापन हेतु निदेशित करना।
- योजना के प्रगति का समीक्षा करना तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन से प्रमंडलीय उप निदेशक उद्यान/निदेशक उद्यान–सह–मिशन निदेशक को अवगत कराना। **साथ ही साथ अवयववार प्रगति को संसूचित सॉफ्टवेयर में अपलोड करना।**
- PFMS से भुगतान के आलोक में अवयववार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को संबंधित सॉफ्टवेयर में नियमानुसार End to end Entry निर्धारित समय सीमा के तहत् सुनिश्चित कराना तथा उसकी समीक्षा करना।
- दिए गए निर्देश के आलोक में अनुमान्य अनुदान ससमय भुगतान सुनिश्चित करना।
- जिला स्तर पर सहायक निदेशक उद्यान, जिला में संचालित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे।
- आवश्यकता अनुसार कृषि मैपर का प्रयोग करवाना।
- आम एवं लीची के बागान की Geo Mapping करायी जायेगी।

3. **प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान :–**

- प्रमण्डल स्तर पर योजना के प्रगति का पर्यवेक्षण एवं मासिक समीक्षा करना एवं बैठक की कार्यवाही से उद्यान निदेशालय, बिहार पटना को अवगत कराना।
- योजना के तहत् विभिन्न अवयवों के कार्यान्वयन के उचित समय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रमंडल के सहायक निदेशक उद्यान को आवश्यक दिशा–निर्देश देना ताकि योजना की प्रगति समय से हो सके।
- PFMS से भुगतान के आलोक में भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि को सॉफ्टवेयर में Entry की समीक्षा अपने प्रमंडलीय जिला में समय–समय पर परिभ्रमण के क्रम में करना।
- प्रमण्डलीय उप निदेशक उद्यान के द्वारा प्रमण्डल में कार्यान्वित योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं निरीक्षण प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर अपलोड करेगें।

4. **नोडल पदाधिकारी:–**

- योजना का समय–समय पर उचित माध्यम से समीक्षा करना।
- योजना के कार्यान्वयन के क्रम में जिलों से प्राप्त पत्रों का त्वरित निष्पादन कराकर निदेश उपलब्ध कराना।
- योजना के ऑनलाईन मासिक प्रगति के समेकित प्रतिवेदन तैयार कराकर निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय, बिहार पटना को उपलब्ध कराना।
- योजना का समय–समय पर यथा आवश्यक निरीक्षण करना।
- राज्य स्तर से केला एवं लीची के नए बागों की जाँच कराना

5. **निदेशक उद्यान** :– मुख्यालय स्तर पर योजना का समीक्षा, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर आवश्यक निदेश एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

निदेशक उद्यान,
बिहार, पटना।